

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 451 /2020

दिनांक 10.02.2020

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (R.J0180), विशिष्ठ न्यायाधीश. आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को दिनांक 19.02.2020 से 20.02.2020 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ठ न्यायाधीश. (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश. आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर के पद पर ही होने की सम्भावना है ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/22/2013/935

दिनांक : 10.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 13 दिनांक 22.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (R.J0180), विशिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर ।


10/2/20
सहायक रजिस्ट्रार